एक लाख से ज्यादा मानक बोरा तेंदूपत्ता का होगा संग्रहण

मौसम की अनुकूलता रहने से 10 मई से संग्रहण की तैयारी, 7 रेंजों के 735 फड़ों के माध्यम से होगा तेंदूपत्ता संग्रहण

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। जिला वनोपज संघ सीधी द्वारा 10 मई से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। मौसम की अनुकूलता के चलते तेंदुपत्ता गुणवत्ता युक्त तैयार हो रहे हैं। इस वजह से संग्रहण का कार्य समय से शुरू होने की संभावना है। जिन स्थानों में शाख कर्तन का कार्य किया गया था वहां 10 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए तैयार होने की संभावना है।

इस वर्ष जिले में 1 लाख 6411 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 51 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू होगा। मौसम की अनुकूलता के चलते समितियों में तेंदूपत्ता सही गुणवत्ता का जल्द उपलब्ध होने की संभावना है इस वजह से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 10 मई से शुरू होने की संभावना बताई गई है। अभी यह देखा जा रहा है कि जंगलों में तेंदूपत्ता की सही गुणवत्ता में रहे, जिससे संग्रहित होने वाला तेंदूपत्ता भी अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी गुणवत्ता का तेंदूपत्ता संग्रहित होने पर उसकी मांग भी काफी रहती है। इसी वजह से जिला वनोपज संघ द्वारा 7 रेंजों के 735 फड़ों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण की तैयारी की जा रही है। तेंदूपत्ता की काफी भरमार है और तेज धूप में तेंदूपत्ता की गुणवत्ता ठीक हो रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जितनी तेज धूप रहेगी तेंदूपत्ता की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी रहेगी। यदि मौसम में परिवर्तन हुआ एवं बारिश का दौर शुरू हुआ तो तेंदूपत्ता की गुणवत्ता काफी प्रभावित हो जाती है। वर्तमान में जो तेंदूपत्ता वन क्षेत्रों में मौजूद हैं उनकी गुणवत्ता

मौसम ठीक होने से सही है फिर भी यह माना जा रहा है कि 10 मई तक तेंदूपत्ता की गुणवत्ता में और सुधार हो जाएगा और समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य शुरू होगा। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 22 मई तक जिले में पूर्ण हो जाएगा। सीधी जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य अमूमन हर वर्ष मई महीने में ही शुरू होता है। करीब 20 दिन में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य वन क्षेत्रों में काफी तेजी के साथ किया जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए सभी वन क्षेत्रों में श्रमिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द तेंदूपत्ता संग्रहण शुरू हो।

तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए क्षेत्रीय श्रमिक अपना अन्य सभी कार्य बंद कर देते हैं और महीने भर तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य करते हुए काफी आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है। जिला वनोपज समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों को जल्द से जल्द उनकी पारिश्रमिक का भुगतान होता रहे। जिले के दक्षिणी क्षेत्र के जंगलों में काफी मात्रा में तेंदूपत्ता तैयार हो चुकी है। जैसे ही इनकी गुणवत्ता ठीक होगी संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि शासन द्वारा इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की दर से मजदूरी निर्धारित की गई है। एक मानक बोरा में तेंदूपत्ता के 400 पैकेट भरे जाते हैं।

सीधी एवं चुरहट रेंज से होगा ज्यादा संग्रहण

जिले में 7 रेंजों के 735 फड़ों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण की व्यवस्था बनाई गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि तेंदूपत्ता जंगलों में गुणवत्तायुक्त तैयार हो जाने के बाद 10 मई से संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी यह माना जा रहा है कि जिन रेंजों में शाख कर्तन का कार्य किया गया था वहां इस दौरान पर तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधी जिले में सर्वाधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण सीधी रेंज में 30 हजार मानक बोरा, चुरहट रेंज में 28 हजार मानक बोरा एवं बफर जोन मझौली रेंज में 21 हजार मानक बोरा करने का लक्ष्य है। यहां तेंदूपत्ता जंगलों में काफी है। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सीधी जिले में करीब 20 दिनों में ही काफी आसानी के साथ हो जाता है।

छवारी में पुलिस की जन चौपाल का हुआ आयोजन

कार्यक्रम में पुलिस ने ग्रामीणों को दी जानकारी

नवभारत न्यूज

मझौली 29 अप्रैल। जिला पुलिस सीधी द्वारा आयोजित जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत थाना मझौली क्षेत्र के ग्राम छवारी में 28 अप्रैल 2026 को सायं 4 बजे से जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण, पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा जनता और पुलिस के मध्य विश्वास एवं सहयोग को मजबूत करना रहा।

कार्यक्रम में मझौली पुलिस द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को पुलिस विभाग द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं, महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही, साइबर अपराधों से बचाव, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस की भूमिका के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही यातायात जागरूकता के संबंध में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम राहत स्कीम, राह वीर योजना के तहत एक्सीडेंट के समय क्या लाभ अर्जित किया जा सकता है उसके संबंध में भी जानकारी दी गई। तत्पश्चात आमजन से अपील की गई कि वे निर्भीक होकर अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त जन चौपाल कार्यक्रम में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विशाल शर्मा, उप निरीक्षक पीएल टांडिया, प्रधान आरक्षक अनूप सिंह पेंड्रो, आरक्षक आशुतोष मिश्रा, अक्षय तिवारी और सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 120 से ज्यादा ग्रामीण सम्मिलित हुए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। थाना मझौली पुलिस द्वारा आमजन को आश्वस्त किया गया कि आपकी सुरक्षा- हमारा संकल्प के तहत पुलिस सदैव जनता के साथ खड़ी है।

ग्राम सभाओं के माध्यम से योजनाओं की जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में ग्राम सभा एवं वार्ड सभाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सहायक श्रम पदाधिकारी ने बताया कि सभाओं के दौरान विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम अधिनियमों के प्रावधान, न्यूनतम वेतन, तथा बाल एवं बंधुआ श्रम निषेध से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जिससे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। जिला प्रशासन द्वारा समस्त क्लस्टर एवं ग्राम पंचायतों के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लें और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

बकवा, कठौली, हनुमानगढ़ एवं चंदवाही में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 2 को

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार 2 मई 2026 को प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के चयनित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें धौंहनी विधानसभा के ग्राम पंचायत बकवा, सीधी विधानसभा के ग्राम पंचायत कठौली, चुरहट विधानसभा के ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ तथा सिहावल विधानसभा के ग्राम पंचायत चंदवाही शामिल हैं। इन शिविरों में नोडल अधिकारी के रूप में संबंधित क्षेत्र के सीडीपीओ एवं बीएमओ की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

शिविरों में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा आयुष विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को समेकित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्देशानुसार शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन अथवा अन्य उपलब्ध शासकीय भवनों में किया जाएगा। साथ ही, इन शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी कराई जाएगी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। शिविर में आने वाले नागरिकों को आधार एवं समग्र आईडी साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिविर के दौरान नशा मुक्ति एवं जनगणना से संबंधित शपथ दिलाना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत स्काउट एवं गाइड की जिला परिषद बैठक आयोजित, पारित हुआ वार्षिक कैलेण्डर

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। भारत स्काउट एवं गाइड की जिला परिषद की वार्षिक बैठक उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष डॉ.अजय मिश्रा के मुख्य आतिथ्यए भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेन्द्रमणि दुबे की अध्यक्षता एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त विश्वनाथ मिश्रा, जिला मुख्य आयुक्त गाइड डॉ.श्वेता सिंह, काउंसलर डॉ.शास्त्री प्रसाद मिश्रा, जिला मुख्यालय आयुक्त प्राचार्य एस.एन. त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष डॉ.अजय पटेल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष डॉ.अजय मिश्रा ने

स्काउटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही। राज्य द्वारा दिए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा तय होए जिससे स्काउटिंग को एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया जा सके। सहायक राज्य संगठन आयुक्त विश्वनाथ मिश्रा ने स्काउटिंग के महत्व एवं क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा के साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार के लक्ष्य की तैयारी पर विशेष जोर दिया, वही जिला मुख्य आयुक्त गाइड डॉ.श्वेता सिंह ने स्काउटिंग के प्रभाव, व्यवहारिक पहलू पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक सुझाव दिए। हेड क्वार्टर कमिश्नर प्राचार्य एस.एन.त्रिपाठी ने स्काउटिंग को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में छात्र-छात्राओं के लिए स्काउटिंग एक अद्वितीय कला है जिसमें छात्रों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्काउटिंग का वार्षिक प्रतिवेदन जिला सचिव एवं जिला कीड़ा अधिकारी हरिशंकर पाण्डेय ने रखा। बैठक का संचालन जिला प्रशिक्षण आयुक्त राकेश रतन पाण्डेय ने किया।

जिला परिषद की की बैठक में संयुक्त सचिव सचिव वरिष्ठ शिक्षक शशि गौतम, जिला संगठन आयुक्त छत्रमणि पाण्डेय, जिला संगठन आयुक्त गाइड वरिष्ठ शिक्षक अजीता द्विवेदी, केपी सिंह, राजेंद्र मिश्रा, बाल गोविंद पटेल सहित अनेक स्काउट एवं गाइडर ने आवश्यक सुझाव दिए। वार्षिक कैलेंडर और दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए जिला कार्य परिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया।

स्काउटिंग से बच्चों का सर्वांगीण विकास : सुरेन्द्रमणि

भारत स्काउट एवं गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्रमणि दुबे ने कहा कि स्काउटिंग से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रत्येक जिले में स्काउटिंग अनिवार्य है किन्तु उसका संचालन नियमित न होने के कारण सही परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठाए जाएं। जिला संघ स्काउटिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है।

आंगनबाड़ी एवं सहायिका की जीत एटक की जीत : विभा

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन एटक की महासचिव कामरेड विभा पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे रिट याचिका क्रमांक 14501/2019 दायर की गई थी जिसमें राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि दिनांक 27.06.2019 से पहले जो मानदेय का हिस्सा दिया जा रहा था उसे पुन: बहाल किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यकर्ता को 1500, सहायिका को 750, मिनी कार्यकर्ता को 1250 रुपया प्रति माह की दर से दिनांक 27.6.2019 से एरियस भुगतान करने के दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। जिसमें 84 माह की एरियस

कार्यकर्ता को कुल राशि 126000 रुपये सहायिका को, 63000 रुपये मिनी कार्यकर्ता को, 105000 रुपये को एरियस मिलेगा और 6 प्रतिशत ब्याज अलग से दिया जाएगा। 3 फरवरी 2026 के आदेश को समाहित करते हुए आदेश जारी किया गया है जिसमें 120 दिन के अंदर करना है यानी 3 जून 2026 तक सरकार को भुगतान करना है। याचिका में यह भी आदेश जारी किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार 125000 एवं रूपये 100000 ग्रेच्युटी सरकार देती थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को राहत देते हुए आदेश दिया है कि पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को खुशी की लहर दौड़ी कामरेड विभा पाण्डेय सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से अपील किया कि जो बहनें सेवानिवृत हो गई हैं वह अपनी ग्रेच्युटी के लिए आवेदन कर सकती हैं। ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय का अंतिम वेतन की 15 दिन का वेतन की दर से जितने वर्ष की सर्विस है पूरा भुगतान होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पालन करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

एक नजर में

बंधक एवं बालश्रम उन्मूलन के लिये बैठकें 4 को

सीधी। जिले में श्रम शोषण की कुप्रथाओं के उन्मूलन एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 4 मई 2026 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। दोनों बैठकें साप्ताहिक समय-सीमा (टी.एल.) बैठक के पश्चात कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होंगी। सहायक श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल एवं किशोर श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु गठित जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक प्रात: 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बाल श्रम से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके प्रभावी निराकरण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक रणनीति तय की जाएगी। इसके पश्चात बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित सतर्कता समिति की बैठक प्रात: 11.45 बजे आयोजित होगी। इस बैठक में बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निराकरण हेतु दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इन बैठकों के माध्यम से श्रम संबंधी समस्याओं के समाधान, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

रोजगार व स्वरोजगार मेले का आयोजन आज

सीधी। जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को एक ही स्थान पर रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी के संयुक्त तत्वावधान में 30 अप्रैल 2026 को एक दिवसीय 'युवा संगम' रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर नैकिन परिसर में प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में देश, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर की निजी कम्पनियों के साथ-साथ स्व-रोजगार से जुड़े विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा एवं बीई/बी-टेक (विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग) योग्यता वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं, ऋण सुविधाओं एवं प्रशिक्षण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। रोजगार मेले में ग्लोबल मैनपावर सर्विसेज, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्रा. लि., हाइटेक गियर प्रा. लि., सिनसुजा माइक्रो क्रेडिट प्रा. लि., के.के. इंटरप्राइजेज, बजाज ऑटो प्रा. लि., आदित्य बिरला (पुणे), प्रगतिशील बायोटेक प्रा.लि. (रीवा/सतना), सीआईआईएमसीसी इंदौर, एससीएन ग्लोबल प्रा. लि., एसआईएस सिक्योरिटी सर्विसेज (सिंगरौली) सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर सीधी, रीवा, सतना, जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा अहमदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, औरंगाबाद, भिवाड़ी, पुणे एवं बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में उपलब्ध होंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस रोजगार मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह पहल युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नौसा में जन चौपाल : आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील

नवभारत न्यूज

सेमरिया 29 अप्रैल। जिला पुलिस सीधी द्वारा आयोजित जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत थाना सेमरिया क्षेत्र के ग्राम नौसा स्थित माध्यमिक स्कूल ग्राउंड में 28 अप्रैल को सायं 4 बजे से जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण, पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा जनता और पुलिस के मध्य विश्वास एवं सहयोग को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में थाना प्रभारी सेमरिया केदार परोहा द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को पुलिस विभाग द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं, महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही, साइबर अपराधों से बचाव, नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस की भूमिका के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे निर्भीक होकर अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया के डॉ.संजय सिंह पटेल द्वारा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि नशा व्यक्ति, परिवार एवं समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। उक्त जन चौपाल कार्यक्रम में थाना प्रभारी सेमरिया केदार परोहा, प्रधान आरक्षक पंकज सिंह, आरक्षक मनीष शुक्ला, अमित तिवारी, विनीत सिंह बघेल, राकेश सिंह और ग्राम मड़वा सरपंच सुरेश चौधरी, ग्राम बेलदह सरपंच, बोकरो के सरपंच, करौंदिया सरपंच, थाना क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी द्वारिका प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सिंह सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं लगभग 300 ग्रामीणजन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। थाना सेमरिया पुलिस द्वारा आमजन को आश्वस्त किया गया कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प के तहत पुलिस सदैव जनता के साथ खड़ी है।

योगा प्रतियोगिता आज से

सीधी 29 अप्रैल। योगा एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शोभित पाण्डेय ने बताया कि 5वीं राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का आयोजन 30 अप्रैल से 1 मई तक विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज नवाबगंज कानपुर में होगा। जिसमे भारत के कई राज्यों की योगा एसोसिएशन की टीमें भाग लेंगी। शोभित पाण्डेय ने बताया कि योगा एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश की टीम भी राज्य सचिव एस एस चौहान और स्टेट कोच प्रदीप तिवारी के नेतृत्व में प्रतियोगिता में सम्मिलित होगी।

स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर सख्ती : 3 की सेवाएं समाप्त, 2 को सेवा समाप्ति का नोटिस

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वेच्छाचारी बने स्वास्थ्यकर्मियों पर की सख्त कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सीधी 29 अप्रैल। जिले में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बबिता खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं वहीं दो अन्य को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है।

सेवाएं समाप्त किए गए कर्मियों में रजनीश सिंह चौहान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल, विपुल तिवारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन एवं अरविन्द रावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डढ़िया, विकासखंड रामपुर नैकिन शामिल हैं। इनकी नियुक्ति उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप) के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर की गई थी। वहीं राजमणि चर्मकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन एवं रामसुरेश धोबी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्ति की चेतावनी दी गई है। इन सभी कर्मियों को मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, एनसीडी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग एवं अन्य कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। बावजूद इसके इनके द्वारा कार्यों में लगातार लापरवाही बरती गई और रिपोर्टिंग अत्यंत कम पाई गई, जिससे जिले की प्रगति राज्य एवं वरिष्ठ स्तर की समीक्षाओं में असंतोषजनक रही। बताया गया कि यह विषय मुख्य सचिव स्तर की समीक्षा बैठक के एजेण्डा में भी शामिल रहा, जहां जिले की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। इसके बावजूद संबंधित कर्मियों द्वारा कार्य में कोई सुधार नहीं किया गया। जिला एवं ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठकों तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद न तो कार्यों में अपेक्षित रुचि दिखाई गई और न ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया गया।

लगातार लापरवाही को देखते हुए तीन कर्मियों की सेवाएं 29 अप्रैल 2026 से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं दो अन्य कर्मियों को संविदा मानव संसाधन मैन्युअल 2025 की कंडिका 11.1 एवं 18.5 के तहत 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

उल्लास कार्यक्रम में सुस्ती पर 5 समन्वयकों को नोटिस

जिले को पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवभारत साक्षर योजना के तहत संचालित उल्लास कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच विकासखंड सह समन्वयकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विनोद कुमार दुबे सीधी, विकास कुमार तिवारी मझौली, राजू सिंह रामपुर नैकिन, आर.एस.साहू सिहावल एवं सिद्धनारायण दुबे कुसमी से उनके कार्यों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने योजना के अंतर्गत कब, कहां और क्या गतिविधियां संचालित कीं। उल्लेखनीय है कि उल्लास कार्यक्रम 01 अप्रैल 2022 से संचालित है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाना है। कलेक्टर द्वारा लगातार गांव-स्तर पर चौपाल लगाकर जनसमस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद साक्षरता अभियान का प्रभाव जमीनी स्तर पर नजर नहीं आना प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आमजन तक योजना की जानकारी नहीं पहुंचना अत्यंत आपत्तिजनक माना गया है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित अधिकारियों का यह आचरण कर्तव्य के प्रति अपेक्षित निष्ठा एवं जिम्मेदारी के विपरीत है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 का उल्लंघन है। सभी संबंधित समन्वयकों को तीन दिवस के भीतर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि साक्षरता अभियान में ढिलाई अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।